महाविद्यालय की स्थापना व उद्देश्य

यह महाविद्यालय गोरखपुर जनपद से 60 किलोमीटर दक्षिण राजमार्ग संख्या 29 पर, देवरिया नगर से 45 किमी. पश्चिम तथा आजमगढ़ नगर से 45 किमी. उत्तर, पावन सलिला सरयू तट पर स्थित है।

इसकी स्थापना सन् 1960 में पूर्वी उत्तर प्रदेश के निर्धन तथा साधनहीन छात्रों को कला एवं कृषि में उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु की गयी। 1964 में तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए विज्ञान की कक्षाएँ प्रारम्भ की गई और सन् 1971 में यह महाविद्यालय कला, कृषि एवं विज्ञान की शिक्षा देने वाला पूर्वान्चल का एक प्रमुख संस्थान बना। इस क्षेत्र को सजाने, सँवारने एवं सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक तथा राजनैतिक चेतना जागृत करने में यह महाविद्यालय अपना महत्वपूर्ण योगदान देता आ रहा है। स्नातकोत्तर स्तर पर कला-संकाय (राजनीति विज्ञान, अंग्रेजी, हिन्दी, समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र व मनोविज्ञान); कृषि संकाय (सस्य विज्ञान व उद्यान विज्ञान); विज्ञान संकाय (रसायन विज्ञान); और वाणिज्य संकाय में शिक्षा प्रदान की जाती है। सत्र 2018-19 से बी.ए. गृह विज्ञान एवं शारीरिक शिक्षा की कक्षाएँ चल रही हैं।

नियम/विनियम

1. महाविद्यालय का शैक्षणिक सत्र 01 जुलाई से आरम्भ होगा।
2. बी.ए., बी.एस-सी., बी.एस-सी. (कृषि) एवं बी. काम. प्रथम वर्ष, एम.ए./एम.कॉम. प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन 15 अप्रैल से तथा 01 जुलाई से प्रवेश प्रारम्भ कर दिया जायेगा।
3. विषयों का आवंटन निर्धारित सीटों की संख्या के अनुसार ही अनुमन्य होगा।
4. तृतीय, पंचम व सप्तम् सेमेस्टर की कक्षाओं में प्रवेश यथा-समय घोषित निर्धारित तिथि तक ही होगा। छात्र/छात्राओं से अपेक्षा है कि महाविद्यालय के सूचना-पट तथा ऑनलाइन नोटिस बोर्ड का अवलोकन करते रहें।
5. जो छात्र/छात्रा संस्थागत प्रवेश प्राप्त किए हैं उनको चाहिए कि **विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि के पूर्व विश्वविद्यालयीय परीक्षा फार्म अवश्य भर कर जमा कर दें।** समय से परीक्षा आवेदन-पत्र नहीं भरने वाले छात्र/छात्रा परीक्षा से वंचित हो जायेंगे और उनका शुल्क भी सुरक्षित नहीं होगा। परीक्षा- आवेदन-पत्र महाविद्यालय से सम्पर्क करके आन-लाइन भरा जायेगा। आन-लाइन फार्म छात्र/छात्रा स्वयं भरें।

पाठ्य-विषय

स्नातक कला, विज्ञान व वाणिज्य में त्रिवर्षीय तथा कृषि में चार-वर्षीय (NEP-2020) सी.बी.सी.एस. पाठ्यक्रम लागू है। वाणिज्य संकाय स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत सत्र 2011-12 से संचालित है।

अनिवार्य विषय

Semester	Minor Elective	Minor Co-Curricular Activities	Minor Vocational
I Semester	Introduction to Deen Dayal Upadhyay (HIS-106)	Nutrition, Health, Hygiene (HSC-100)	Education Information Technology (AEDU-101)
II Semester	Rashtra Gaurav (FIND-100)	Sports (PHED-100)	Fashion Designing & Craft Designing (AEDU-201)

III Semester	Introduction of Nath Panth (PH1-100)	Cultural Activities (FMV-100)	Finance & Banking (COMM-203)
IV Semester	Disaster Management Mechanism in India (DSS-200)	Communication skills and personality Development (PSY-100)	Cyber Laws (Law-203)
V Semester	NA	NSS (NSS-100)	Industrial Training/Project (PLC-101)
VI Semester	NA	NCC (NCC-100)	Industrial Training/Project (PLC-01)

वैकल्पिक विषय

विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रत्येक वर्ष में अंकित विषयों का चयन प्रवेश समिति द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जा सकेगा।

कला संकाय

स्नातक :

स्नातकोत्तर

- ❖ राजनीतिशास्त्र में स्नातकोत्तर (अनुदानित) की स्थायी सम्बद्धता।
- ❖ हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र तथा मनोविज्ञा विषय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्थायी सम्बद्धता प्राप्त है।

विज्ञान संकाय

स्नातक

त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के अन्तर्गत छात्र/छात्राओं की निम्नलिखित संयुक्तियाँ स्वीकृत हैं :

(i) प्रथम एवं द्वितीय वर्ष

A- रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित

B- प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान

(ii) तृतीय वर्ष

प्रत्येक छात्र/छात्रा को प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में उत्तीर्ण, उन्हीं विषयों में से मात्र दो विषयों का चयन करना होगा।

स्नातकोत्तर

रसायन विज्ञान में (2003-04 से) स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्थायी सम्बद्धता प्राप्त है।

कृषि संकाय

- ❖ महाविद्यालय ICAR की मान्यता प्रक्रिया के अधीन है।

❖ B.P.Ed., कृषि (Agriculture) स्नातक एवं परास्नातक(Agronomy & Horticulture) में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा तथा B.Ed में प्रवेश B.Ed प्रवेश परीक्षा के अधीन होगा।

स्नातक

सभी कोर्स में सेमेस्टर पद्धति लागू है। ICAR द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन/अध्यापन की सुविधा उपलब्ध है।

स्नातकोत्तर

एम.एस-सी. (कृषि) के अन्तर्गत शस्य विज्ञान में सत्र 2003-04 से तथा उद्यान विज्ञान में सत्र 2018-19 से स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्थायी सम्बद्धता प्राप्त है। सेमेस्टर पद्धति पर आधृत विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन/अध्यापन की सुविधा उपलब्ध है।

वाणिज्य संकाय

स्नातक

बी. काम. की कक्षायें सत्र 2011-12 से स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्थायी सम्बद्धता के साथ संचालित हैं।

स्नातकोत्तर

एम.कॉम. की स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्थायी सम्बद्धता सत्र 2017-18 से प्राप्त है।

प्रवेश हेतु आवश्यक निर्देश

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा लागू नई शिक्षा नीति-2020 के अन्तर्गत दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर द्वारा सत्र 2021-22 के अन्तर्गत सेमेस्टर प्रणाली (CBCS/च्वायस् बेस्ड क्रेडिट सिस्टम) लागू कर दी गई है। इस प्रणाली के अनुरूप ही वर्तमान सत्र में महाविद्यालय में प्रवेश, पठन-पाठन एवं परीक्षा सम्पन्न होगी।

स्नातक (B.A., B.Sc., B.Com.) स्तर पर प्रवेश हेतु नियम

विवरण :

1. छात्र/छात्रा तीन विषयों का चयन करेंगे, जो मेजर पाठ्यक्रम के अन्तर्गत आयेगा।
2. चयनित तीन विषयों में से एक विषय बेसिक पाठ्यक्रम के अन्तर्गत आएगा, जिसे छात्र/छात्रा को तीनों वर्ष पढ़ना अनिवार्य होगा।
3. चयनित बेसिक विषय की परीक्षा में तीन प्रश्न-पत्र होंगे।
4. चयनित दो विषयों में दो-दो प्रश्न-पत्र की परीक्षा होगी।
5. नई शिक्षा नीति-2020 के अन्तर्गत छात्र/छात्राओं को भारतीय सभ्यता संस्कृति के ज्ञान, कौशल और परम्परा से समृद्ध करने के लिए माइनर पाठ्यक्रम की व्यवस्था की गई है, जिसके अन्तर्गत वैकल्पिक विषय के रूप में निम्न विषयों के अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था महाविद्यालय में है, जिसका अध्ययन उपर्युक्त वर्णित सभी संकाय के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है।

Semester	Minor Elective	Minor Co-Curricular Activities	Minor Vocational
I Semester	Introduction to Deen Dayal Upadhyay (HIS-106)	Nutrition, Health, Hygiene (HSC-100)	Education Information Technology (AEDU-101)
II Semester	Rashtra Gaurav (FIND-100)	Sports (PHED-100)	Fashion Designing & Craft Designing (AEDU-201)
III Semester	Introduction of Nath Panth (PH1-100)	Cultural Activities (FMV-100)	Finance & Banking (COMM-203)
IV Semester	Disaster Management Mechanism in India (DSS-200)	Communication skills and personality Development (PSY-100)	Cyber Laws (Law-203)
V Semester	NA	NSS (NSS-100)	Industrial Training/Project (PLC-101)
VI Semester	NA	NCC (NCC-100)	Industrial Training/Project (PLC-01)

6. एक सत्र में दो सेमेस्टर परीक्षा आयोजित होगी।
7. प्रत्येक सेमेस्टर में 'मिड टर्म' तथा 'एण्ड टर्म' की परीक्षा होगी।
8. **'मिड टर्म'** की परीक्षा महाविद्यालय द्वारा महाविद्यालय स्तर पर आयोजित होगी, जो **15** अंक का होगा।
9. **'एण्ड टर्म'** की परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया जायेगा, जो **60** अंक का होगा।
10. आन्तरिक मूल्यांकन के अन्तर्गत, उपस्थिति, असाइनमेण्ट और प्रोजेक्ट वर्क दिया जायेगा, जो **25** अंक का होगा।
11. जो प्रैक्टिकल विषय होंगे उसमें **100** अंक का प्रैक्टिकल अलग से होगा।
12. जिन विषयों में प्रैक्टिकल नहीं है उसकी क्रेडिट वैल्यू **6** है।
13. जो प्रैक्टिकल वाले विषय हैं उनकी क्रेडिट वैल्यू **8** है।

शिक्षा संकाय

- ❖ महाविद्यालय में बी.एड. की स्थायी सम्बद्धता प्राप्त है, तथा कक्षायें संचालित हैं।
- ❖ महाविद्यालय में बी.पी.एड. की स्थायी सम्बद्धता प्राप्त है, तथा कक्षायें संचालित हैं।

शोध-कार्य

- ❖ राजनीतिशास्त्र, अंग्रेजी, हिन्दी एवं सस्य-विज्ञान तथा उद्यान-विज्ञान विभाग में शोध कार्य कराये जाते हैं।

स्नातक में प्रवेश के लिए अर्हता

क. अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् की इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

ख. बी.एस-सी. (कृषि) में प्रवेश के लिए छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में चयनित होना आवश्यक होगा। परन्तु महाविद्यालय में उन्हीं छात्रों का नाम लिखा जायेगा जिसकी सूची विश्वविद्यालय से आचरण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र के साथ प्राप्त होगी।

ग. कोई भी छात्र महाविद्यालय की शैक्षणिक विभाग का अधिकृत सदस्य तभी माना जायेगा जब वह प्राचार्य की स्वीकृति प्राप्त कर चुका हो।

घ. इण्टरमीडिएट कृषि परीक्षा उत्तीर्ण छात्र का प्रवेश विज्ञान संकाय में सम्भव नहीं होगा।

ङ. द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में अन्य महाविद्यालय से उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश का प्रावधान नहीं है।

परास्नातक में प्रवेश के लिए अर्हता

स्नातक में न्यूनतम 40% अंक सामान्य/पिछड़े वर्ग के लिये निर्धारित है। अनुसूचित जाति/जनजाति में उक्त प्रतिशत की बाध्यता नहीं है।

प्रवेश आवेदन-पत्र

1. प्रवेश के लिए आवेदन कालेज वेबसाईट से ऑनलाइन प्रथम सेमेस्टर में रु. 320/- व आने सेमेस्टर में रु. 300/- ऑनलाइन पेमेंट प्राप्त किये जा सकते हैं।
2. आवेदन-पत्र की हार्ड कॉपी कार्यालय में 15 अप्रैल से 30 जून के बीच तक अवश्य जमा होना चाहिए।
3. छात्रों के प्रवेश-आवेदन-पत्रों के न जमा होने पर उत्तरदायित्व महाविद्यालय का नहीं होगा।
4. किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या उस विशेष पाठ्यक्रम में सम्भावित स्थान पर निर्भर करेगी। निश्चित तिथि तक प्राप्त आवेदन-पत्रों पर गठित प्रवेश-समिति द्वारा विचार किया जायेगा।
5. आवेदन पत्रों में जिन प्रमाण-पत्रों की आवश्यकता बतायी गयी है, उसकी मूल प्रति प्रवेश (काउन्सिलिंग) के समय ही जमा करना होगा।
6. महाविद्यालय में किसी शैक्षणिक विभाग में प्रवेश के अभ्यर्थी अपने आवेदन-पत्र के साथ सम्बद्ध पूर्व विद्यालय के प्रधानाचार्य से प्राप्त आचरण प्रमाण-पत्र भी देंगे।
7. प्रवेश हेतु छात्र/छात्रा कॉउनसलिंग के बाद ऑनलाइन शुल्क जमा करेंगे।
8. जिस पाठ्य-विषय में प्रवेश दिया गया है, उसके विभागाध्यक्ष को रसीद दिखाकर छात्र/छात्रा अपना नाम कक्षा-रजिस्टरों में अंकित करायेंगे।
9. प्राचार्य अपनी प्रेरणा से, प्राक्टर या किसी विभागाध्यक्ष के परामर्श से किसी छात्र/छात्रा के लिए प्रवेश निषिद्ध कर सकते हैं।
10. महाविद्यालय के प्राचार्य के पास यह अधिकार सदा सुरक्षित रहेगा कि बिना कारण बताये (कारण कुछ भी हो) किसी छात्र/छात्रा को प्रवेश न दें तथा प्रवेश को निरस्त कर दें, जो आर.टी.आई. (सूचना का अधिकार) की सीमा-रेखा से बाहर होगा।

11. जो छात्र/छात्रा प्रथम वर्ष में व्यक्तिगत (प्राइवेट) रूप से विश्वविद्यालय की परीक्षा उत्तीर्ण हों उन्हें संस्थागत प्रवेश दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है। उन्हें व्यक्तिगत (प्राइवेट) रूप से ही अगली कक्षाओं में भी परीक्षा देनी होगी।
12. किसी भी दशा में संकाय परिवर्तन नहीं होगा। छात्र/ छात्रा चाहे तो अर्हता के तहत कई संकायों में प्रवेश-आवेदन-पत्र दे सकते/सकती हैं।

प्रवेश में आरक्षण

यदि कोई अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ी जाति का अभ्यर्थी किसी कक्षा की मेरिट में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित हो जाता है, तो उसे सामान्य अभ्यर्थी के रूप में प्रवेश प्राप्त होगा, उसके अतिरिक्त इन छात्रों को निम्नानुसार आरक्षण प्राप्त होगा :

1. अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं के लिए 21%
2. अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए 02%
3. पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं के लिए 27%
4. विकलांग छात्रों को भी नियमानुसार प्रवेश में छूट।
5. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित को भी नियमानुसार छूट।
6. EWS छात्रों को भी नियमानुसार प्रवेश में छूट।

सीटें अन्तिम तिथि के पश्चात ही अन्य अभ्यर्थियों से भरी जायेंगी। अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ी जाति के प्रवेशार्थियों को चाहिए कि वे अपना जाति- प्रमाण-पत्र, आवेदन-पत्र के साथ अवश्य संलग्न करें, जिससे छात्रों को व कालेज को असुविधा न हो।

नामांकन

- ❖ महाविद्यालय में पहली बार प्रवेश पाने वाले छात्र/छात्रा को नामांकन के लिए निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना होगा, जिसे प्राचार्य के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। जो छात्र/छात्रा समय से नामांकन फार्म जमा नहीं करेंगे उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अर्थ-दण्ड निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त देना पड़ेगा।
- ❖ कोई भी छात्र/छात्रा जो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक अपना नामांकन नहीं करा लेगा तथा परीक्षा-आवेदन-पत्र नहीं भरेगा, वह विश्वविद्यालय की परीक्षा में नहीं बैठ सकेगा।
- ❖ महाविद्यालय में नामांकित प्रत्येक छात्र/छात्रा महाविद्यालय के पुस्तकालय से पुस्तकें प्राप्त करने का अधिकारी होगा/ होगी। महाविद्यालय का पुस्तकालय भवन आधुनिक साज-सज्जा से युक्त है तथा पुस्तकालय में 45000 से अधिक पुस्तकें हैं। दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र- पत्रिकाएँ मँगायी जाती हैं। पुस्तकों को परीक्षा पूर्व प्रवेश- पत्र प्राप्त करने के पहले जमा करना अनिवार्य है।
- ❖ निर्धन छात्र/छात्राओं को विभागाध्यक्षों की संस्तुति के आधार पर बुक-बैंक से पूरे सत्र के लिये पुस्तकें दी जा सकती हैं, जिन्हें परीक्षा-पूर्व प्रवेश पत्र प्राप्त करने के पहले वापस कर देना अनिवार्य है।

उपस्थिति

- ❖ प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक परीक्षार्थियों के लिए शिक्षण- अवधि में हुए कक्षा-व्याख्यानों, सेमिनारों तथा ट्यूटोरियलों में 75% की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

- विषय से सम्बद्ध प्रयोगशाला या कार्यशाला में किये गये प्रयोगात्मक कार्य में भी 75% की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- इस विषय के अन्तर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना एवं नेशनल कैडेट कोर शिविर की उपस्थिति को महाविद्यालय के उन दिनों की पूर्ण उपस्थिति के बराबर माना जायेगा।
- विद्यालय के संस्थागत छात्र के रूप में परीक्षा में बैठने वाले छात्र/छात्रा की उपस्थिति की गणना पूरे सत्र के लिए की जायेगी और किसी भी दशा में किसी भी पाठ्यक्रम के लिए अस्थाई प्रवेश की स्वीकृति नहीं दी जायेगी। उपस्थिति की गणना सत्रारम्भ की तिथि को छोड़कर किसी अन्य तिथि से की जायेगी। इनसे भिन्न स्थिति केवल उन अभ्यर्थियों की होगी जो हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट की पूरक परीक्षाओं में सम्मिलित हुए होंगे और जिनका परीक्षाफल उस वर्ष वार्षिक परीक्षा के पूर्व पहली सितम्बर तक प्रकाशित होगा। उनकी उपस्थिति पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित तिथि से या उस वर्ष की पहली सितम्बर से मानी जायेगी, (इनमें जो भी पहले हो)। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र/छात्रा पर है कि वह समय-समय पर अपनी उपस्थिति की पूर्ण जानकारी रखे।

शुल्क अल्पीकरण

जिन छात्र/छात्राओं को प्रथम वर्ष में शुल्क अल्पीकरण की जो सुविधा प्राप्त होती थी, वह द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ वर्ष में प्राप्त होती रहेगी और उतनी फीस छात्र/छात्रा से प्रवेश के समय पिछली रसीद दिखाने पर कम कर ली जायेगी। द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ वर्ष का शुल्क नामांकन व काशनमनी छोड़कर देय होगा। शुल्क मुक्ति की सुविधा कार्यालय अधीक्षक से मिलकर उनके हस्ताक्षर से संधान करा लें।

प्रवेश प्रक्रिया

प्रवेश समिति द्वारा छात्र/छात्रा का प्रवेश स्वीकार करने के उपरान्त अपना शुल्क ऑनलाइन जमा करने के साथ छात्र/छात्रा को लेजर नम्बर सहित कम्प्यूटराईज्ड रसीद प्रिन्ट मिलेगा। बिना लेजर नं. की रसीद निर्गत हुए प्रवेश वैध नहीं माना जायेगा। छात्र/छात्रा को यह रसीद सुरक्षित रखना चाहिए, प्रसंगवश कभी भी माँगी जा सकती है। प्रत्येक प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं को बारह महीने का शुल्क देना होगा, चाहे उनका प्रवेश किसी भी महीने में हुआ हो। शुल्क जमा करने के साथ छात्र/छात्राओं को दो फोटो भी जमा करना होगा।

शुल्क वापसी

किसी भी पाठ्यक्रम की शिक्षा के लिए लिया गया शुल्क वापस नहीं होगा। इसकी वापसी तभी हो सकती है जब या तो महाविद्यालय प्रवेश देना अस्वीकृत करता है अथवा पाठ्यक्रम में शिक्षण व्यवस्था जारी रखने में असमर्थ है। यह नियम प्रत्येक दशा में लागू होगा और इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि छात्र शुल्क न देने के पश्चात् कक्षा में उपस्थित था, या नहीं। विज्ञान संकाय में प्रवेश लेकर छात्र/छात्रा कला संकाय में स्वेच्छा से अपना स्थानान्तरण चाहता है तो उसके द्वारा जमा अन्य फीस न तो वापस होगी और न ही समायोजित होगी।

नि:शुल्कता

प्रत्येक वर्ष वांछित छात्र/छात्राओं को शुल्क मुक्ति की सुविधा प्रदान की जाती है। इसे निर्धनता, शैक्षणिक योग्यता एवं सद्व्यवहार के आधार पर प्रदान करने का प्राविधान है। कक्षा में उपस्थिति एवं अध्ययन की प्रगति असन्तोषजनक होने पर प्रदत्त नि:शुल्कता निरस्त कर दी जायेगी।

कोई भी छात्र/छात्रा किसी भी आधार पर निःशुल्कता सम्बन्धी अपने अधिकार का दावा नहीं कर सकता/सकती। विगत् परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को किसी प्रकार की निःशुल्कता स्वीकृत नहीं की जायेगी।

निःशुल्कता के लिए आवेदन-पत्र पहली अगस्त से कार्यालय में एक रुपया नगद देकर प्राप्त किया जा सकता है। यह आवेदन पत्र पूर्ण करके सूचित तिथि तक अथवा इसके पूर्व ही प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए। निर्धारित तिथि के पश्चात् दिये गये प्रार्थना-पत्रों पर विचार सम्भव नहीं है।

छात्रवृत्तियाँ

प्राचार्य कार्यालय के माध्यम से कई प्रकार की छात्रवृत्तियाँ यहाँ अध्ययन करने वालों को प्राप्य होती हैं, जिसके लिए निर्धारित तिथि तक आवेदन-पत्र देना आवश्यक होता है। निर्धारित तिथि के उपरान्त दिये गये प्रार्थना-पत्रों पर विचार सम्भव नहीं हो पाता और योग्य छात्र/छात्रा भी छात्रवृत्ति पाने से वंचित रह जाते हैं।

एतत् सम्बन्धी समस्त सूचनायें कार्यालय द्वारा प्रसारित की जाती हैं तथा उसकी प्रतिलिपि छात्र/छात्राओं के सूचनार्थ समस्त विभागाध्यक्षों को भेज दी जाती हैं।

छात्र/छात्राओं को चाहिए कि कार्यालय से छात्रवृत्ति तथा आर्थिक सहायता की स्वीकृति सम्बन्धी आदेश-पत्र संख्या तथा दिनांक भी स्वयं स्मरण रखें ताकि भुगतान में कठिनाई न होने पाये।

प्रमुख छात्रवृत्तियाँ निम्नलिखित हैं :

1. राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति।
2. राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति ।
3. बर्सरी पुस्तकीय सहायता एवं परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति।
4. अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति आय के आधार पर पिछड़े वर्ग की छात्रवृत्ति ।
5. विकलांग छात्रवृत्ति ।
6. स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों वाली योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति।
7. निर्धन एवं मेधावी छात्रों की छात्रवृत्ति एवं पुस्तकीय सहायता।
8. मण्डी समिति मेरिट छात्रवृत्ति। (बी.एस-सी. (कृषि) स्नातक एवं स्नातकोत्तर के छात्रों के लिए)
9. आय के आधार पर सामान्य जाति छात्रवृत्ति।

उपरोक्त छात्रवृत्तियों के लिए प्रार्थना-पत्र आमंत्रित करने हेतु सूचना जुलाई से प्रसारित की जाती है। प्रत्येक छात्रवृत्ति अथवा सहायता के लिए अलग-अलग सूचना प्रसारित की जाती है, जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया रहता है कि कौन से छात्र/छात्रा उसके लिए प्रार्थना-पत्र दे सकते हैं। तथा किन-किन प्रमाण-पत्रों को संलग्न करने की आवश्यकता है। सूचना देखकर प्रार्थना-पत्र पूर्ण करके ही स्वीकृति हेतु आवेदन करें, अन्यथा अनावश्यक विलम्ब होगा और छात्रवृत्ति न प्राप्त होने की सम्भावना भी बनी रहेगी। विशेष जानकारी के लिए कार्यालय से सम्पर्क करे।

वार्षिक शुल्क विवरण

सत्र 2024-25 के विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु शासकीय एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क विवरण अग्र पृष्ठ पर चार्ट में अंकित है, तदनुसार शुल्क जमा करना होगा।

मद	B.A. I	B.A. I Psych / Phy.Edu.	B.Sc I Maths	B.Sc I Bio.	B.Sc I Ag.	M.A. I	B.A. II	B.A. III	B.A. II Psych / Phy.Edu.	B.A. III Psych/ Phy. Edu.	B.Sc II Maths	B.Sc III Maths	B.Sc II Bio.	B.Sc III Bio.	B.Sc II Ag.	B.Sc III Ag.	M.A. II
शिक्षण शुल्क	132	132	132	132	132	180	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	180
प्रवेश शुल्क	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
मंहगाई शुल्क	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
विकास शुल्क	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
प्रयोगशाला शुल्क	0	240	720	720	1200	0	0	0	240	240	720	720	720	720	1200	1200	0
परीक्षा शुल्क/ राष्ट्र गौरव	1350	1350	1350	1350	1700	1600	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1700	1700	1600
नामांकन शुल्क	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अंकपत्र शुल्क	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
उपाधि शुल्क	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	500
विद्युत पंखा शुल्क	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
पुस्तकालय शुल्क	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
वाचनालय शुल्क	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
चिकित्सा शुल्क	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
वार्षिक पत्रिका शुल्क	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
श्रव्य दृश्य शुल्क	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
सांस्कृतिक शुल्क	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
विभागीय परिषद शुल्क	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
क्रीड़ा शुल्क	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
यूनियन शुल्क	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
छात्रसंघ चुनाव शुल्क	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
साइकिल स्टैन्ड शुल्क	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
रोवर्स रेंजर शुल्क	50	50	50	50	50	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0
निर्धन छात्र शुल्क	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
राष्ट्रगौरव शुल्क	50	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
काशनमनी शुल्क	150	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
परिचय पत्र शुल्क	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
योग छात्रों के लिए	**3479**	**3719**	**4199**	**4199**	**5029**	**3577**	**3129**	**3629**	**3369**	**3869**	**3849**	**4349**	**3849**	**4349**	**4679**	**5179**	**3877**
योग छात्राओं के लिए	**3347**	**3587**	**4067**	**4067**	**4897**	**3397**	**2997**	**3497**	**3237**	**3737**	**3717**	**4217**	**3717**	**4217**	**4547**	**5047**	**3697**

नोट: (1.) उपर्युक्त शुल्क, शासकीय एवं विश्वविद्यालय के अनुसार सत्र-2024-25 के लिए निर्धारित किया गया है। (2.) बी.काम., एम.कॉम., एम.ए. (हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र), एम.एस-सी. (कृषि एग्रोनामी) तथा एम.एस-सी. (रसायन विज्ञान) के पाठ्यक्रम स्ववित्तापोषित योजनान्तर्गत संचालित हैं। इनका शुल्क अलग से शासनादेश के अनुसार देय होगा।

(3 .) बी.ए., IIIIII गृहविज्ञान व शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम स्ववित्तापोषित योजनान्तर्गत संचालित हैं। प्रयोगात्मक शुल्क देय होगा।

(4.) द्वितीय, चतुर्थ व षष्ठम् तथा बी.एस-सी. (कृषि) अष्टम् सेमेस्टर का परीक्षा शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा।

समस्त वित्तीय सहायता के लिए सम्पर्क

- छात्र-सहायता-कोष से उन छात्रों को आर्थिक सहायता नहीं दी जायेगी जो निःशुल्कता अथवा किसी अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं। छात्र- सहायता कोष-समिति की संस्तुति के बिना किसी
- को भी सहायता नहीं दी जायेगी। • प्रत्येक प्रदत्त आर्थिक सहायता छात्र/छात्रा के नाम देय शुल्क के साथ समायोजित कर ली जायेगी
- यदि किसी आवेदनकर्ता छात्र/छात्रा के द्वारा सहायता कोष से आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत कोई विवरण मिथ्या पाया जायेगा तो मिथ्या विवरण देने के आरोप में न केवल प्राप्त आर्थिक सहायता ही समाप्त कर दी जायेगी वरन् उन पर अर्थदण्ड भी लगाया जा सकता है। उसे महाविद्यालय से निष्कासित या अलग किया जा सकता है।

समस्त वित्तीय सहायता के लिए सम्पर्क

समस्त प्रकार की छात्रवृत्तियाँ तथा आर्थिक सहायता प्राप्त करने के निमित्त आवश्यक जानकारी हेतु सूचना-पटों को देखते रहें तथा प्राचार्य के कार्यालय से सम्पर्क रखें। ज्ञातव्य है कि एक ही कक्षा में फिर से प्रविष्ट, एवं परीक्षा में अनुत्तीर्ण अथवा पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को किसी भी प्रकार की निःशुल्कता अथवा आर्थिक सहायता नहीं प्रदान की जायेगी।

सुरक्षा निधि (काशमनी)

महाविद्यालय की देय सभी शुल्कों के अतिरिक्त प्रत्येक छात्र को निम्न दर से प्रतिभूति धन (काशनमनी) जमा करना पड़ेगा।

महाविद्यालय सम्पत्ति को यदि क्षति पहुँचती है तो इसके लिए प्रतिभूति-धन में कटौती कर शेष धन को लौटा दिया जायेगा। शर्त यह है कि वह छात्र महाविद्यालय में अध्ययन छोड़ने के 3 वर्षों के भीतर निर्धारित प्रपत्र भरकर प्रतिभूति-धन वापसी के लिए प्रत्येक सत्र में पहली जनवरी से 3 मार्च तक प्रेषित कर सकते हैं। यदि कोई छात्र/छात्रा महाविद्यालय में अध्ययन समाप्त करने के तीन वर्षों की अवधि के भीतर प्रतिभूति-धन को वापस पाने के लिए आवेदन-पत्र नहीं देता है तो वह धन महाविद्यालय के विकास मद में चला जायेगा।

विज्ञान संकाय की प्रयोगशाला सम्बन्धी प्रतिभूति-धन (काशनमनी)

क. छात्र/छात्रा के स्वेच्छा/असावधानी से प्रयोग किये जाने वाले उपकरण या यन्त्र की क्षति होने पर प्रतिभूति-धन से; या क्षति प्रतिभूति-धन से अधिक होने पर अतिरिक्त धनराशि ही लिया जायेगा।

ख. प्रत्येक विभागाध्यक्ष हर महीने की 15 तारीख तक उन छात्र/छात्राओं की सूची प्राचार्य के पास भेजेंगे, जिनसे क्षति पर हानि सम्बन्धी धनराशि प्राप्तव्य है; जिससे कि वे क्षतिपूर्ति विषयक आगे की कार्यवाही कर सकें। जो छात्र/छात्रा अपेक्षित धन का भुगतान नहीं कर सकेंगे वे विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं पा सकेंगे।

अनुशासन सम्बन्धी नियम

यदि कोई छात्र/छात्रा दुर्व्यवहार या उत्तरोत्तर कार्य विमुखता के लिए दोषी पाया जायेगा/जायेगी, तो प्राचार्य अपराध की प्रवृत्ति और गुरुता के अनुसार निम्न प्रकार से दण्ड दे सकते हैं:

क. अर्थ दण्ड

ख. निलम्बन (सस्पेन्शन)

ग. निष्कासन (एक्सपल्शन)

घ. निस्सारण (रेस्टीकेशन)

ये दण्ड अपराध की प्रकृति और गम्भीरता के अनुसार उपर्युक्त क्रम में दिये जायेंगे।

निष्कासन, निलम्बन से अधिक गम्भीर दण्ड है, जो गम्भीर अपराध के लिए दिया जाता है।

निस्सारण या निष्कासन दोनों प्रकार के दण्ड वर्ष में कभी भी किसी भी अवधि के लिये दिये जा सकते हैं, परन्तु यह अवधि किसी भी दशा में चालू शिक्षण-सत्र जिसमें दण्ड दिया गया है, के अन्त से पूर्व समाप्त होगी और जिस वर्ष दण्ड दिया गया है उसके बाद के शिक्षण सत्र से कम न होगी।

- ❖ भूख हड़ताल अपनाने, छात्राओं के प्रति दुर्व्यवहार करने, महाविद्यालय के प्राध्यापकों एवं अधिकारियों के प्रति अवज्ञा करने या महाविद्यालय क्षेत्र के भीतर छात्र/छात्राओं द्वारा किया गया कोई भी अन्य प्रदर्शन अनुशासन का गम्भीर उल्लंघन माना जायेगा एवं इसमें संलिप्त छात्र/छात्राओं की उपर्युक्त में से निस्सारण (रेस्टीकेशन) सहित एक या अधिक प्रकार का दण्ड दिया जा सकता है।

परिचय-पत्र

क. महाविद्यालय में नामांकित सभी छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय में प्रवेश लेने के 30 दिन के भीतर नियन्ता-कार्यालय में अपना नाम पंजीकृत करा लेना चाहिए तथा उन्हें ऑनलाइन अपना परिचय-पत्र भी प्राप्त कर लेना चाहिए।

ख. सभी नये छात्र/छात्राओं को अपना शुल्क जमा करने के तत्काल बाद अपने नवीन फोटो की दो प्रतियाँ नियन्ता-कार्यालय में जमा कर देना चाहिए और इसके लिए ऑनलाइन रसीद ले लेनी चाहिए। विभिन्न विभागों में प्रवेश के समय रसीद को दिखाना पड़ेगा।

ग. अन्तिम वर्ष के छात्र/छात्राओं को प्रवेश लेने की तिथि के एक सप्ताह के भीतर अपने परिचय-पत्र को नियन्ता के कार्यालय में जमा कर पुनः वैध करा लेना चाहिए।

घ. प्रत्येक परिवर्तित पते की सूचना तत्काल नियन्ता के कार्यालय को दी जानी चाहिए।

ङ. **महाविद्यालय क्षेत्र में अथवा बाहर छात्र/छात्राओं को सदैव परिचय-पत्र को अपना पास रखना चाहिए और माँगने पर तत्काल अध्यापकों या महाविद्यालय के अन्य अधिकारी को दिखाना चाहिए, ऐसा न करने पर वे दण्ड के भागी होंगे।**

च. परिचय-पत्र का नवीनीकरण प्रतिवर्ष होगा।

छ. परिचय-पत्र छात्र/छात्राओं को केवल प्रथम प्रवेश के साथ ही दिया जायेगा तथा जितने समय तक संस्थागत छात्र रहेगा उसी का नवीनीकरण होता रहेगा। खो जाने की स्थिति में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर शुल्क देकर पुनः प्राप्त किया जा सकता है।

कैरियर परामर्श

महाविद्यालय में कैरियर परामर्श की सुविधा है। इसके लिए श्रीमती प्रीति श्रीवास्तव एवं श्री राजेश पाण्डेय (मनोविज्ञान विभाग) से सम्पर्क करें।

क्रीड़ा-परिषद

महाविद्यालय क्रीड़ा-परिषद् की ओर से विभिन्न खेलों जैसे-हॉकी, फुटवाल, वालीबाल, बॉस्केटवाल, क्रिकेट, बैडमिन्टन, बैंटिंग, कबड्डी आदि की सुविधा प्रदान की जाती है। महाविद्यालय क्षेत्र में व्यायामशाला (जिमेनेजियम) भी है। महाविद्यालय के प्रत्येक छात्र/छात्रा से किसी एक खेल में भाग लेने की अपेक्षा की जाती है।

छात्रावास सुविधा

महाविद्यालय में छात्रों हेतु दो छात्रावास क्रमशः 36 व 40 छात्रों के लिए छात्रावास सुलभ है, जो प्रतिभावान, अनुशासित एवं दूर से आकर अध्ययन कर रहे छात्रों को वरीयता के आधार पर आवष्टित किया जा सकता है; इसके लिए छात्र छात्रावास अधीक्षक से सम्पर्क करें। महिला छात्रावास की भी सुविधा उपलब्ध है।

एन. सी. सी.

एन.सी.सी. में सम्मिलित होने की इच्छा रखने वाले छात्र/छात्रा महाविद्यालय के एन.सी.सी. कार्यालय से सम्पर्क करें।

रोवर्स एण्ड रेन्जर्स

महाविद्यालय में रोवर्स एण्ड रेन्जर्स की इकाई क्रियात्मक प्रशिक्षण के लिए संचालित है। इसकी सदस्यता के लिए छात्र/छात्रा सम्बन्धित प्रभारी से सम्पर्क करें।

राष्ट्रीय सेवा योजना

महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) की दो इकाईयाँ (द्रोण व पार्थ) संचालित हैं। छात्र / छात्रा इसकी सदस्यता के लिये सम्बन्धित प्रभारी से सम्पर्क करें।

एन.सी.सी., रोवर्स एण्ड रेन्जर्स, एन.एस.एस. का प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिभारता स्वीकृत है। अतः छात्र/छात्राओं से विशेष आग्रह है कि इनमें अभिरुचि लें।

महाविद्यालय कृषि फार्म

छात्र/छात्राओं के प्रयोग के लिए महाविद्यालय के पास 30 एकड़ का एक आधुनिक सुसज्जित फार्म है, जहाँ आधुनिक विधियों तथा आधुनिकतम यन्त्रों से कृषि की शिक्षा दी जाती है।

महाविद्यालय के कृषि फार्म पर ही प्रयोगात्मक कक्षाओं की सुविधा है। निम्नलिखित विषयों की प्रयोगात्मक अवज्ञा करने या महाविद्यालय क्षेत्र के भीतर छात्र/छात्राओं द्वारा किया गया कोई भी अन्य प्रदर्शन अनुशासन का गम्भीर उल्लंघन माना जायेगा एवं इसमें संलिप्त छात्र/छात्राओं की उपर्युक्त में से निस्सारण (रेस्टीकेशन) सहित एक या अधिक प्रकार का दण्ड दिया जा सकता है।

कक्षाएँ महाविद्यालय के कृषि फार्म पर सम्पन्न करायी जाती हैं।

1. एग्रोनामी
2. पशुपालन
3. उद्यान विज्ञान
4. कृषि अर्थशास्त्र
5. प्रसार विज्ञान
6. मृदा विज्ञान
7. पादप रोग
8. कीट विज्ञान
9. कृषि अभियन्त्रण
10. कृषि सांख्यिकी

11. कृषि वनस्पति विभाग 12. मृदा संरक्षण विभा

विश्वविद्यालय परीक्षा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि के आलोक में समय से पूर्व पूरित कर महाविद्यालय में अवश्य जमा कर दें। इस हेतु छात्र/छात्राओं को निरन्तर महाविद्यालय के कार्यालय के सम्पर्क में रहना चाहिए तथा समाचार-पत्रों का अवलोकन करते रहना चाहिए।

महाविद्यालय परिसर में समस्त विद्यार्थियों के लिए निश्चित ड्रेस निर्धारित है, जिसे पहनना अति अनिवार्य है।

नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कालेज

बड़हलगंज-गोरखपुर

महाविद्यालय परिवार

प्रो. राकेश कुमार पाण्डेय - प्राचार्य

विज्ञान संकाय

रसायनशास्त्र विभाग

प्रो. ज्वाला प्रसाद मिश्र
डॉ. जय गोपाल पाण्डेय
डॉ. राकेश पटेल
डॉ. राम मनोहर मिश्र (स्ववित्तपोषित)

भौतिक विज्ञान विभाग

श्री चिन्मय कुमार गुप्ता
श्री प्रशान्त कुमार पाण्डेय
डॉ. दिनेश कुमार

गणित विभाग

डॉ. सुधांशु अग्रवाल
श्री अभिनय कुमार गुप्त

जीव विज्ञान विभाग

डॉ. मुकेश कुमार चौबे
डॉ. दिव्या शर्मा

वनस्पति विज्ञान विभाग

श्री निर्भय अग्रवाल
डॉ. देवेन्द्र प्रताप सिंह
श्री सतीश कुमार

कला संकाय

हिन्दी विभाग

प्रो. परितोष त्रिपाठी
श्री अजय कुमार सिंह
डॉ. संजय कुमार मिश्र(स्ववित्तपोषित)

अंग्रेजी विभाग

डॉ. रत्नेश कुमार पाण्डेय (स्ववित्तपोषित)

डॉ. दिवाकर तिवारी (स्ववित्तपोषित)

डॉ. अखण्ड प्रताप चन्द (स्ववित्तपोषित)

संस्कृत विभाग

डॉ. योगेन्द्र कुमार

प्राचीन इतिहास विभाग

डॉ. रामेश्वर पाण्डेय

डॉ. अजय कुमार मिश्र

डॉ. भास्कर उपाध्याय

राजनीति विज्ञान विभाग

डॉ. (श्रीमती) पूजा नायक

डॉ. सुधीर कुमार शुक्ल

दर्शनशास्त्र विभाग

डॉ. त्रिपुरेश कुमार त्रिपाठी

डॉ. ब्रजभूषण तिवारी (स्ववित्तपोषित)

समाजशास्त्र विभाग

डॉ. (श्रीमती) प्रीति सिंह

डॉ. मनीष कुमार पाण्डेय (अवकाश)

डॉ. विनोद पाण्डेय (स्ववित्तपोषित)

मनोविज्ञान विभाग

श्रीमती प्रीति श्रीवास्तव

सुश्री सूफिया खातून

श्री राजेश कुमार पाण्डेय (प्रबन्धकीय व्यवस्था)

शारीरिक शिक्षा विभाग

श्री विकास यादव

गृहविज्ञान विभाग

डॉ. (श्रीमती) अर्चना दूबे (स्ववित्तपोषित)

कृषि संकाय

शस्य विज्ञान विभाग

डॉ. प्रभात कुमार चतुर्वेदी

डॉ. संजीव कुमार चौबे (स्ववित्तपोषित)

डॉ. वीरभद्र त्रिपाठी

कृषि रसायन विभाग

डॉ. दिनेश कमार सिंह

डॉ. विनय कुमार

डॉ. कुहन त्रिपाठी (प्रबन्धकीय व्यवस्था)

कृषि सांख्यिकी विभाग

श्री शिव शंकर सोनी

कृषि अर्थशास्त्र विभाग

डॉ. रामसहाय चौबे

कृषि प्रसार विभाग

डॉ. खुशबू राज

पशुपालन, पशु-चिकित्सा विभाग

डॉ. महेश तिवारी

डॉ. सुषमा यादव

कीट-विज्ञान विभाग

श्री नवीन कुमार

कृषि अभियन्त्रण विभाग

डॉ. वैशाली

मृदा संरक्षण विभाग

डॉ. कान्हू चरण पंडा

कृषि वनस्पति विभाग

श्री विपिन कुमार चौधरी

श्री उदय प्रताप सिंह

श्री निलेन्द्र तिवारी

पादप-रोग विज्ञान विभाग

डॉ. एस. एन. शर्मा (अवकाश)

डॉ. किशन लाल

हार्टिकल्चर विभाग

श्री सुधीर कुमार मिश्र

कु. सपना राय

श्री गौरव सिंह विशेन

शिक्षा संकाय

बी. एड्. विभाग

श्री राजेन्द्र कुमार दुबे (स्ववित्तपोषित)

श्री ब्रजेश तिवारी

श्री चन्द्रमौलि ओझा

श्री विनय कुमार मिश्र

श्री सन्तोष कुमार मिश्र

श्री विश्वजीत राय

श्रीमती रुचिका श्रीवास्तव
श्री प्रतीक कुमार द्विवेदी
श्री नवीन कुमार पाण्डेय
श्री मोहम्मद रफी
श्री अमित कमार द्विवेदी
श्री प्रेमचन्द यादव
श्री रंग लाल पाण्डेय (प्रबन्धकीय व्यवस्था)

बी. पी. एड्. विभाग

श्री प्रवीण कुमार दुबे (स्ववित्तपोषित)

वाणिज्य संकाय (स्ववित्तपोषित)

डॉ. चण्डीश मणि त्रिपाठी
डॉ. सन्तोष कुमार सिंह
डॉ. राजेन्द्र कुमार जायसवाल
डॉ. शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय
डॉ. ओंकार मिश्र(प्रबन्धकीय व्यवस्था)

गैर-शिक्षक-कर्मचारी वर्ग

कार्यालय अनुभाग

1. श्री रमेश पाण्डेय — कार्यालय अधीक्षक
2. श्री आलोक कुमार तिवारी — सहायक लेखाकार
3. श्री आशीष कुमार शुक्ल — स्टेनोग्राफर
4. श्री देवप्रकाश शुक्ल — कार्यालय अनुभाग
5. श्री सुधांशु प्रकाश पाण्डेय — कार्यालय अनुभाग
6. श्री विजय बहादुर यादव — कार्यालय अनुभाग
7. श्री मुकेश कुमार — कार्यालय अनुभाग
8. श्री जवाहर लाल — कार्यालय अनुभाग
9. श्री पंकज मिश्रा — कार्यालय अनुभाग

पुस्तकालय अनुभाग

1. श्री बृजेश कुमार राय
2. डॉ. पवन कुमार उपाध्याय
3. श्री रणविजय भारती
4. श्री भुवनेश्वर चतुर्वेदी
5. श्री दिनेश तिवारी
6. शिप्रा त्रिपाठी

प्रयोगशाला अनुभाग

1. श्री रामनिवास

2. श्री सुनील मणि त्रिपाठी
3. श्री अनिल कुमार तिवारी
4. श्री उमेश कुमार शुक्ल
5. श्री अमृत कुमार द्विवेदी
6. श्री चन्द्रभूषण तिवारी
7. श्री राजीव कुमार दूबे
8. श्री शैलेश कुमार तिवारी
9. श्री सुधीर कुमार पाण्डेय
10. श्री संजय कुमार
11. श्री संदीप कुमार तिवारी
12. श्री अजीत कुमार तिवारी
13. श्री अमरेन्द्र कुमार चौबे

परिचर संवर्ग

1. श्री रूदल यादव
2. श्री मनोज कुमार
3. श्री मकबूल अहमद
4. श्री दयाशंकर यादव
5. श्री शिवशंकर शर्मा
6. श्री रामस्वरूप
7. श्री हरि प्रसाद
8. श्री श्यामसुन्दर सिंह
9. श्री अमीर यादव
10. श्री विजय प्रताप यादव
11. श्री सविन्द्र पाल
12. श्री दिलीप कुमार तिवारी
13. श्री सुबाष
14. श्री संजय सिंह यादव
15. श्री चन्दन
16. श्री राधेश्याम
17. श्री रामप्रवेश निषाद
18. श्री संदीप कुमार पाण्डेय
19. श्री सुशील कुमार ओझा
20. श्रीमती बिन्दा मिश्रा
21. श्री भुवनेश मणि त्रिपाठी
22. श्री प्रभात कुमार उपाध्याय
23. श्री वीरेन्द्र कुमार

24. श्री विनीत कुमार
25. श्री प्रदीप दूबे
26. श्री अमरनाथ सोनकर
27. श्री जितेन्द्र कुमार पाठक
28. श्रीमती संजू देवी
29. श्री सुग्रीव